IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.385/2025

IN THE MATTER OF:

SIDDHARTH RAI		**...APPLICANT**
	VERSUS	
STATE OF UTTAR PRADESH AND & ORS.		**...RESPONDENTS**

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Counter Affidavit On Behalf Of Respondent No. 2 (Zila Panchayat, Ghazipur) And Respondent No. 5 (District Magistrate, Ghazipur) Alongwith Supporting Affidavit.	1-7
2.	**ANNEXURE-P/1** A true copy of the Minutes of Meeting of the Environmental Committee, Ghazipur, dated 1.08.2025, which records the said decision and subsequent action	8-10
3.	**ANNEXURE-P/2** A True Copy of the resolution/proposal dated 11.08.2025 submitted by the Gram Pradhan, Gram Panchayat	11

	Hariharpur, reflecting the consensus and revised alignment plan.	
4.	**ANNEXURE-P/3** A True Copy of the said Estimate Report along with the sanctioned maps, prepared and authenticated by the competent authority.	**12-16**

Through

Priyanka

Date: 27.08.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.. 385/2025

IN THE MATTER OF:

SIDDHARTH RAI		**...APPLICANT**
	VERSUS	
STATE OF UTTAR PRADESH AND & ORS.		**...RESPONDENTS**

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 (ZILA PANCHAYAT, GHAZIPUR) AND RESPONDENT NO. 5 (DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIPUR)

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. That the present Counter Affidavit is being filed on behalf of Respondent No. 2 and Respondent No. 5 in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal. The answering respondents respectfully submit that there has been no deliberate violation of environmental norms, and immediate corrective measures were taken upon receipt of objections.

2. That the grievance raised in the present Original Application pertains to the alleged discharge of wastewater into village pond bearing Plot No. 409, Gram Panchayat Hariharpur, Block Manihari, District Ghazipur, due to construction of a drain by Zila Panchayat, Ghazipur.

3. That it is respectfully submitted that the construction of a 480-meter-long drain was initially undertaken in Hariharpur village to address the longstanding issue of waterlogging and drainage for the villagers.

4. That, however, upon receipt of objections from certain local residents regarding the apprehended discharge of drain water into the pond situated at Plot No. 409, immediate remedial action was undertaken and the construction work was stopped with effect from 01.08.2025. **A true copy of the Minutes of Meeting of the Environmental Committee, Ghazipur, dated 1.08.2025, which records the said decision and subsequent action, is also attached herewith and marked as *Annexure P/1*.**

5. That subsequently, in consultation with the Gram Panchayat and local villagers, an alternative alignment was finalized, whereby the proposed drain shall no longer discharge into the pond. Instead, the drain outlet shall be diverted towards Gram Sabha land bearing

Arazi Nos. 223 and 302, where a newly constructed drain exists. At the terminal point, a Silt Catcher and Filter Chamber shall be constructed, as per the design prescribed under *Swachh Bharat Mission (Gramin)*, to ensure treatment/filtration of wastewater before discharge. **A True Copy of the resolution/proposal dated 11.08.2025 submitted by the Gram Pradhan, Gram Panchayat Hariharpur, reflecting the consensus and revised alignment plan, is attached herewith and marked as Annexure P/2.**

6. That after filtration, the treated water shall be released into the existing Gram Sabha drain and shall be utilized by farmers for irrigation purposes, thereby ensuring both environmental protection and beneficial use of resources.

7. That an Estimate Report has been duly prepared for the construction of the proposed Filter Chamber with an assessed cost of Rs. 90,394/- (Rupees Ninety Thousand Three Hundred Ninety-Four only), inclusive of GST. The said Estimate has been framed strictly in accordance with the specifications and directions issued by the Special Secretary, Panchayati Raj, Government of Uttar Pradesh.The Estimate contains the technical break-up of items such as brick masonry, cement concrete work, reinforced concrete slab,

sand filling, plastering, finishing, and other allied components required for the construction, duly vetted and signed by the competent Engineer of Zila Panchayat, Ghazipur. **A True Copy of the said Estimate Report along with the sanctioned maps, prepared and authenticated by the competent authority dated 21.08.2025, is attached herewith and marked as Annexure P/3**.

8. That necessary steps for administrative and financial approval are underway, and the answering respondents undertake to execute the revised work strictly in accordance with law and the guidelines issued by the Government of Uttar Pradesh.

9. That the District Magistrate, Ghazipur (Respondent No. 5), has ensured that the directions of this Hon'ble Tribunal are complied with in letter and spirit, and the Zila Panchayat, Ghazipur (Respondent No. 2), has already adopted the remedial plan to prevent any contamination of the pond.

10. That the objections of the applicant have thus been duly addressed, and the answering respondents are fully committed to protect the environment and maintain ecological balance.

11. The Respondents respectfully reaffirm their commitment to strict compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal. Through

coordinated efforts of all concerned authorities, sustained focus on environmental safeguards, and expeditious execution of corrective measures, the Respondents remain committed to securing the welfare of affected residents and to creating a sustainable, habitable environment in the region.

Through

Priyanka

Date: 27.08.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

59

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP15989337388134X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP15989337388134X
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2025 11:09 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14545504/ GHAZIPUR SADAR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14545504294583427419O6X
Purchased by	:	AVINASH KUMAR SO RAMJI LAL
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AS PER DOCUMENT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AVINASH KUMAR SO RAMJI LAL
Second Party	:	THE NGT PRINCIPAL BENCH NEW DELHI
Stamp Duty Paid By	:	AVINASH KUMAR SO RAMJI LAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARIAL NOTARIAL

Signature
ACC Name Gokul Nath Yadav

Please write or type below this line

951
29.08.2025

951
29.08.25

NOTARY
GHAZIPUR (U.P.)

NOTARY
Advocate
Regd. No. 13348
GOVT. OF INDIA

29/8/25

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 385/2025

IN THE MATTER OF:

SIDDHARTH RAI		**...APPLICANT**
	VERSUS	
STATE OF UTTAR PRADESH AND & ORS.		**...RESPONDENTS**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

AFFIDAVIT

I Avinash Kumar, aged about 42 years S/o Ramji Lal presently posted as District Magistrate, Ghazipur, Uttar Pradesh, having an office at Ghazipur, Uttar Pradesh.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY GOVT. OF INDIA

NOTARY

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Ghazipur on this 28th day of 2025 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

29/8/28

NOTARY

GHAZIPUR (U.P.)

Deponent Sri/Smt/Km. ....

S/o D/o W/o Sri ....

aged .... years R/o .... P.O. ....

P.S. .... Distt. .... Identified

by .... Advocate .... Solemnly affirmed

before me on .... at .... A.M./P.M.

in the .... Ghazipur. The contents of the

affidavit were read over and explained to the deponent who admitted them to be true and correct to [illegible] knowledge and belief. He/She affixed his/her signature/thumb impression below in my presence.

I [illegible] Notary act [illegible] the deponent Sri/Smt/Km. .... [illegible] satisfied myself by examining the deponent. Given under my signature and official seal today.

Devashish Chaudhary

Advocate

NOTARY

District- Ghazipur (U.P.)

Date 22/08/21

GOVT. OF INDIA

NOTARY

Regd. No. 13548

NOTARY

GHAZIPUR (U.P.)

29/8/25

ANNEXURE P/1

जिला पर्यावरण समिति की कार्यवृत्त दिनांक 01.08.2025 (माह अगस्त, 2025)

आज दिनांक 01.08.2025 को अपराह्न 01:00 बजे से जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर के अनुमति के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार, गाजीपुर में जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्न विभाग के अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्न प्रकार है–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गाजीपुर।
4. जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर।
6. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
7. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गाजीपुर।
8. जिला उद्यान अधिकारी, गाजीपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, नि0ख0–शहरी/ग्रामीण, गाजीपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, गाजीपुर।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर।
13. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर।
14. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर।
15. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0, वाराणसी।
16. श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गाजीपुर।
17. प्रबन्धक, बी0एस0एन0एल0, गाजीपुर।
18. जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं रसद, गाजीपुर।
19. सचिव, मण्डी परिषद, गाजीपुर।
20. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/पंचायत, गाजीपुर।
21. श्री शैलेष कुमार राम, नामित सदस्य
22. मु0 काजी फरीद आलम, नामित सदस्य

1. ई0टी0पी0 स्थापना की प्रगति के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जनपद में कुल 11 राजकीय/गैर राजकीय अस्पतालों में ई0टी0पी0 स्थापना की जानी है, जिसमें 09 गैर राजकीय अस्पतालों में ई0टी0पी0 की स्थापना कर ली गयी है। 02 राजकीय अस्पतालों में ई0टी0पी0 की स्थापना अभी किया जाना है, जिसे प्रधानाचार्य, महर्षि विश्वमित्र मेडिकल कालेज, गाजीपुर द्वारा किया जाना है। निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, महर्षि विश्वमित्र मेडिकल कालेज, गाजीपुर को पत्राचार करते हुए आगामी बैठक में अद्यावधिक सूचना के साथ प्रतिभाग करें तथा गैर राजकीय अस्पतालों में स्थापित ई0टी0पी0 की निरीक्षण कर फोटोग्राफ्स सहित जॉच रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– प्रधानाचार्य, महर्षि विश्वमित्र मेडिकल कालेज, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी)

2. प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–8, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 591/81–6–2025 (727548) द्वारा मा0 लोक लेखा समिति (2024–25) की दिनांक 07.01.2025 को सम्पन्न बैठक में मा0 समिति द्वारा प्रदेश में स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के उच्च स्तरीय निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा जनपद गाजीपुर में निर्मित एस0टी0पी0 का निरीक्षण कर रिपोर्ट क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है।

(कार्यवाही– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी)

3. सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध भण्डारण के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जो निम्न प्रकार है–

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्र0 सं0	न0पा0परि0/न0पं0 का नाम	प्लास्टिक पॉलीथीन की स्थिति	
		जब्त सामग्री की मात्रा (किग्रा में)	वसूल की गयी धनराशि (रू0में)
1	गाजीपुर	1301.00	204000
2	जमानियाँ	300.00	135000
3	मुहम्मदाबाद	95.00	86000
4	सैदपुर	4250.00	98000
5	सादात	11.50	77000
6	जंगीपुर	16.50	86000
7	बहादुरगंज	117.62	68000
8	दिलदारनगर	37.00	106000
	योग....	6128.62	860000

रिपोर्ट की समीक्षा में प्रस्तुत की गयी सूचना त्रुटिपूर्ण पाया गया। निर्देशित किया गया कि दिनांक 01.04.2025 से 31.07.2025 तक की रिपोर्ट उक्त प्रारूप में पुनः उपलब्ध करायें। साथ ही माह अगस्त, 2025 की रिपोर्ट पृथक से उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–स्थानीय नगर निकाय, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय प्रशासन, पर्यटन, जिला पूर्ति, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास, गाजीपुर)

4. सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशनसंख्या–304/2018, 230/2001 एवं 302/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 के क्रम में जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत कुल 148 वेटलैण्ड का ग्राउण्ड ट्रूथिंग कर बाउण्ड्री डिमार्केशन का कार्य कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में बाउण्ड्री डिमार्केशन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

(कार्यवाही– वन विभाग, गाजीपुर)

5. सिंचाई विभाग की खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराने हेतु सदस्य श्री शैलेष राम द्वारा सुझाव दिया गया था। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, देवकली पम्प नहर–प्रथम, गाजीपुर के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकासखण्ड–मरदह के गोविन्दपुर, बरही गुलाल सराय एवं नसरतपुर ग्राम पंचायत से निकल रहे नहर के समीप चिन्हित सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त खाली भूमि पर 1500 पौधों के रोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, देवकली पम्प नहर–प्रथम, गाजीपुर)

6. प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि Original Application No. 385of 2025 under section 14 of NGT act 2010 विकासखण्ड–मनिहारी, ग्राम पंचायत–हरिहरपुर में स्थानीय स्वच्छ तालाब गाटा संख्या–409 में जिला पंचायत द्वारा गाँव का पानी तालाब में डालने हेतु नाली के निर्माण के विरूद्ध एन0जी0टी0 में अपील किया गया है। अपर मुख्य अधिकारी, गाजीपुर को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण की तत्काल जाँच कर रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी, गाजीपुर एवं क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी)

7. प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूड़ा एकीकृत करने हेतु एकीकृत ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन केन्द्र, विकास खण्ड–देवकली, ग्राम पंचायत–तुरना, गाजीपुर में निर्मित है, जिसका वर्तमान में किसी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर को निर्देशित किया गया कि जनपद में समस्त निर्मित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र को तत्काल क्रियाशील कर समिति को अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही– जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

8. प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत स्थलों पर ठोस अपशिष्ठ एकत्रित किया गया है। समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर को निर्देशित किया गया कि अनाधिकृत स्थलों पर एकत्रित ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण कर समिति को अवगत करायें।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0/न0पं0 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर)

9. प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के अनुसार गंगा नदी की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत की गयी है–

स्थल	दिनांक	डी0ओ0	बी0ओ0डी0	सी0ओ0डी0
सैदपुर	01.07.2025	7.8	2.8	13.4
ताड़ीघाट	01.07.2025	7.3	3.4	14.8
सैदपुर	16.07.2025	7.4	3.3	14.8
ताड़ीघाट	16.07.2025	6.8	3.8	15.8

डी0ओ0 की मात्रा डाउन स्ट्रीम में घट रही है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा इसका कारण गिर रहे अनटैप्ड नाले का होना बताया गया।

जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर की बैठक के अन्त में प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव द्वारा आये सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

मुख्य विकास अधिकारी,
गाजीपुर।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक–4.99 /18-1 दिनांक गाजीपुर, 12-8- 2025

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर।
2. प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, गाजीपुर।
3. समस्त संबंधित विभाग, गाजीपुर।

मुख्य विकास अधिकारी,
गाजीपुर।

VIRENDRA-2.......1010

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE P/2

ग्राम पंचायत–हरिहरपुर

वि.ख.-मनिहारी, जनपद-गाजीपुर (उ.प्र.)

धर्मेन्द्र सिंह यादव
ग्राम प्रधान
धर्मेन्द्र सिंह यादव

निवास-
ग्राम-हरिहरपुर
पो0-सरायगोकुल
जनपद-गाजीपुर (उ0प्र0)
: 9554293943
7309887754

पत्रांक .... दिनांक......11/08/2025

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,गाजीपुर।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि विकासखण्ड–मनिहारी के अन्तर्गत ग्राम सभा हरिहरपुर में संजय कुशवाहा के घर से पोखरे तक नाला निर्माण कार्य, लम्बाई 480 मीटर का कार्य मेरे ग्राम सभा में प्रस्तावित है। निर्माण कार्य प्रारम्भ होते ही कुछ लोगों द्वारा नाले के पानी को तालाब में जाने की आशंका के आधार पर धरना प्रदर्शन किया गया, जो बातचीत करके समाप्त करा दिया गया है। जनहित में ग्रामीणों से बातचीत करके नाले के पानी को ग्राम सभा की जमीन आराजी संख्या–223 एवं 302, जिसकी नवईयत नाली है, में गिराने का निर्णय किया गया है तथा प्रस्तावित किया गया है कि नाला के अन्तिम छोर पर सिल्ट कैचर व फिल्टर चैम्बर बनाकर शुद्ध पानी को उक्त आराजी में गिराया जाय। यह पानी किसानों के सिंचाई के काम आयेगा।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सिल्ट कैचर व फिल्टर चैम्बर का निर्माण करके आराजी संख्या–223 एवं 302 में पानी गिराया जाय।

CC
[signature]
20/8/25
C(A)AMA?

प्रधान.....[signature].....
ग्राम पंचायत-हरिहरपुर
वि0ख0-मनिहारी,गाजीपुर

d:\draft-2.docx

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE P/3

18
22.9.2025

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, गाजीपुर।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
गाजीपुर।

दिनांक :21-8-25

पत्रांक : 595 / जि०पं०गा० / 2025–26

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या–385 / 2025, सिद्धार्थ राय बनाम उ0प्र0 व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–541 / 29–1, दिनांक–18.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0. 385 / 2025, दिनांक–08.08.2025 के क्रम में विकासखण्ड– मनिहारी के ग्राम पंचायत हरिहरपुर में स्थानीय तालाब गाटा संख्या–409 में जिला पंचायत, गाजीपुर द्वारा गांव का पानी तालाब में डालने हेतु नाली के निर्माण के विरूद्ध अपील किया गया है, में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत हरिहरपुर में 480 मीटर निर्माणाधीन नाला के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की गयी है:–

1. तत्काल प्रभाव से दिनांक–01.08.2025 को ही नाले का निर्माण कार्य रोक दिया गया है।
2. हरिहरपुर में संजय कुशवाहा के घर से पोखरे तक नाला निर्माण का नवीन ले–आउट तैयार कराते हुए नाला का पानी ग्राम सभा की जमीन आराजी संख्या–223 एव 302, जिसका नवईयत नाली है, में गिराया जायेगा तथा वहॉ पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत डिजाईन के अनुसार सिल्ट कैचर व फिल्टर चैम्बर का निर्माण कार्य कराकर पानी को शुद्धिकरण करके नाली मे छोड़ा जायेगा, जो किसानों के सिचाई कार्य में प्रयोग किया जा सकेगा। इस आशय का प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत–हरिहरपुर से प्राप्त कर लिया गया है।

अतएव निवेदन है कि उपरोक्तानुसार एन0जी0टी0 में योजित अपील 385 / 2025 का प्रस्तरवार काउटर एफिडेविट तैयार कराने के साथ ही योजित कराने का कष्ट करे।

संलग्नक (1) प्राक्कलन।
(2) खतौनी
(3) नक्शा

भवदीय,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, गाजीपुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, गाजीपुर।

690/29-1
22.8.2025

SA
आ०क०वा० करें।

d:\draft-2.docx

22/8

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :—ग्राम सभा हरिहरपुर में पोखरे के पास जल निकासी हेतु फिल्टर चेम्बर का निर्माण कार्य।

अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता, जिला पंचायत गाजीपुर के आदेश के अनुपालन में आवंटित धनराशि के सापेक्ष यह आगणन गठित किया गया है :—

प्रस्तावित कार्य = फिल्टर चेम्बर का निर्माण कार्य।

कार्य की लागत रू0 = 0.90 लाख

आगणन का गठन विशेष सचिव पंचायती राज के पत्र संख्या:— 305 / 33—सेल / 2019 दिनांक:—26 फरवरी 2019 द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के आधार पर किया गया है। उक्त कार्य हो जाने से पोखरे में नाली का गंदा पानी जाने की समस्या से निजात मिल सकेगा। आंगणन में लगायी गयी दरें वर्तमान समय में लो0 नि0 वि0 के जनपदीय वृत्त द्वारा स्वीकृत हैं।

कृपया उपरोक्त कार्य हेतु मु0 0.90 की तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती प्रदान करने का कष्ट करें ।

J.E. Zila Panchayat Ghazipur	Engineer Zila Panchayat Ghazipur

SUMMARY OF COST

कार्य का नाम :–ग्राम सभा हरिहरपुर में पोखरे के पास जल निकासी हेतु फिल्टर चेम्बर का निर्माण कार्य।

Abstract Sum	=	76605.18
G.S.T.@ 18%	=	13788.93
Total	=	90394.11
Rounded Total	=	90394.00

अवर अभियन्ता
जिला पंचायत गाजीपुर

अभियन्ता
जिला पंचायत गाजीपुर

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गाजीपुर

अध्यक्ष
जिला पंचायत गाजीपुर

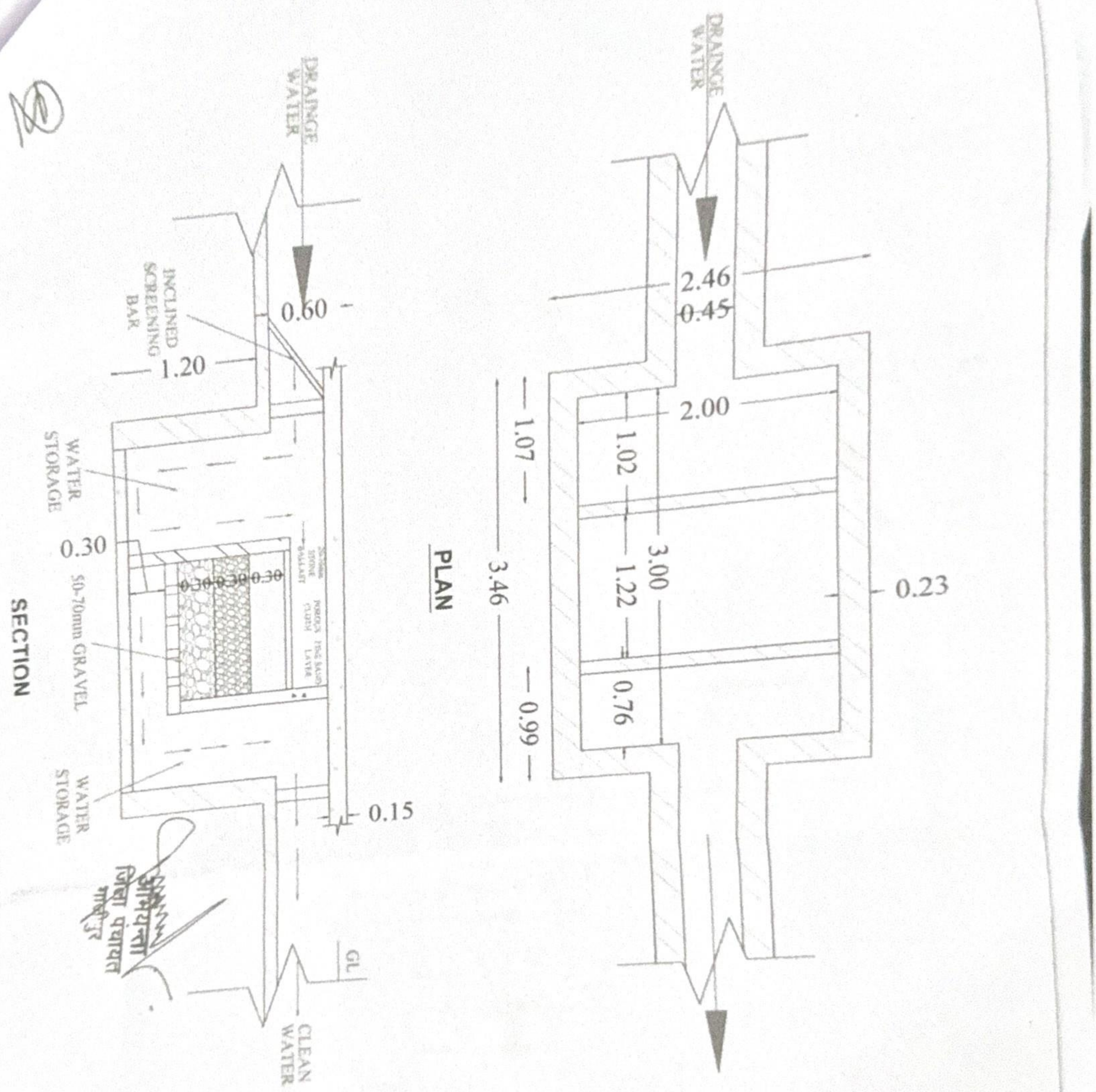
DRAINGE WATER
INCLINED SCREENING BAR
0.60
1.20
WATER STORAGE
0.30
0.30 0.30 0.30
50-70mm GRAVEL
STONE BALLAST
POROUS FINE SAND LAYER
WATER STORAGE
0.15
GL
CLEAN WATER
SECTION
PLAN
DRAINGE WATER
2.46
0.45
2.00
1.07
1.02
3.00
3.46
1.22
0.23
0.76
0.99
CLEAN WATER

BHUNAKSHA उत्तर प्रदेश

Login 302

District

गाजीपुर

Select Tehsil

00988 सैदपुर

Select Village

204115 हरिहरपुर

Select Plot No.

302

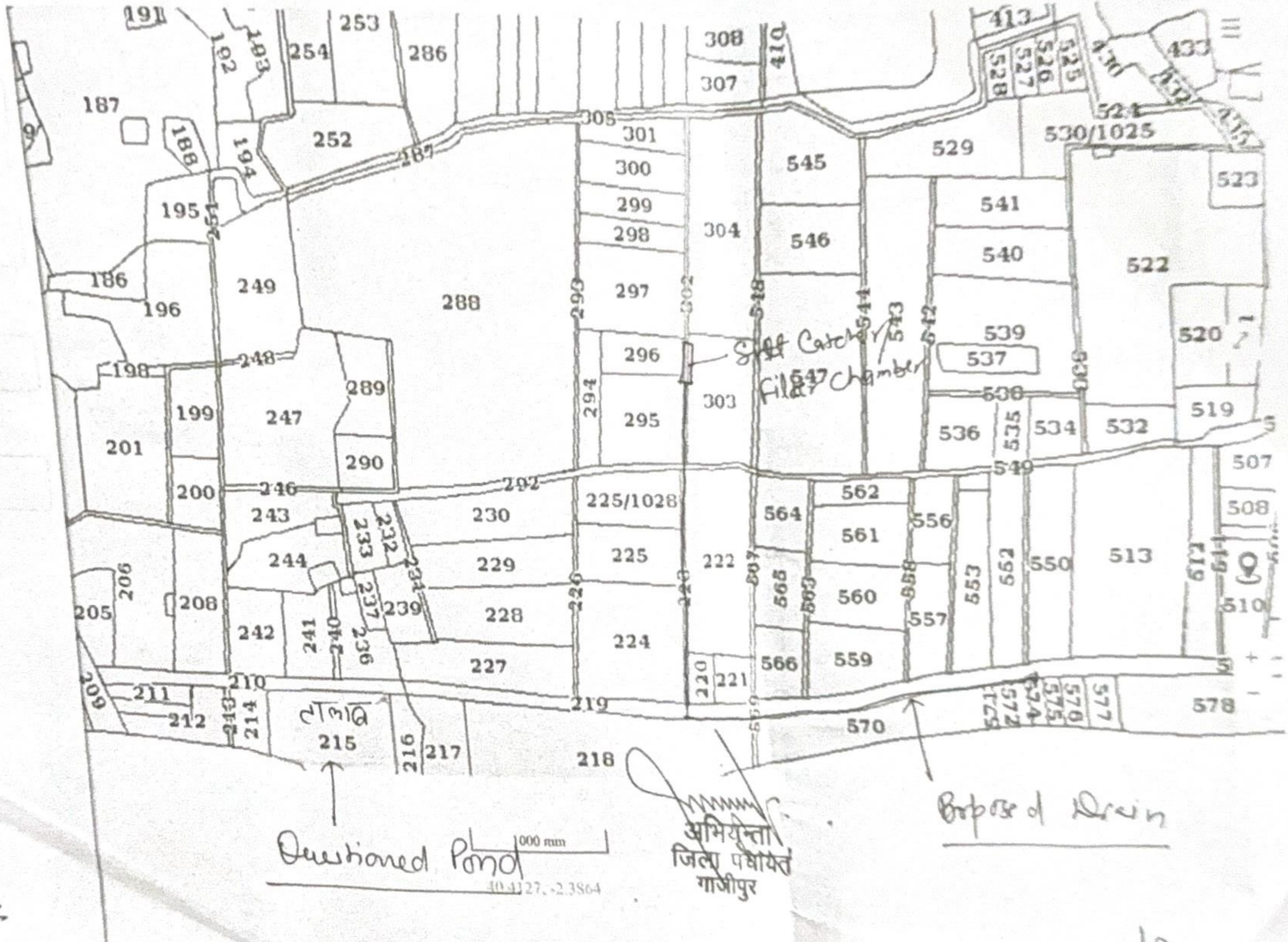

यह वेबसाइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा डिजाइन, विकसित और रखरखाव की गई है, उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के पक्ष से। इस वेबसाइट की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है। इस वेबसाइट पर सामग्री को अद्यतन का ... फिर भी

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

नाली का नजरी नक्शा राजस्व नक्शे में